No. 1145

TO BE PUBLISHED IN PART II -SECTION 3 - SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION
WEALTH-TAX

New Delhi, the 30th September, 1975.

In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:-

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1975.

2. For rule 10 of the Wealth-tax Rules, 1957 (hereinafter referred to as the principal Rules), the following rule shall be substituted, namely:-

"10. Search and seizure.- (1) The powers of search and seizure under section 37A shall be exercised in accordance with sub-rules (2) to (13).

(2) (a) The authorisation under sub-section (1) of section 37A (other than an authorisation under the proviso thereto) by the Director of Inspection or the Commissioner or any such Deputy Director of Inspection or Inspecting Assistant Commissioner as is empowered

by the Board in this behalf shall be in Form M;

(b) the authorisation under the proviso to sub-section (1) of section 37A by a Commissioner shall be in Form M-1;

(c) the authorisation under sub-section (2) of section 37A by a Commissioner shall be in Form M-2.

(3) Every authorisation referred to in sub-rule (2) shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.

(4) Any person in charge of or in any building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched shall, on demand by the officer authorised to exercise the powers of search and seizure under section 37A (hereinafter referred to as the authorised officer) and on production of the authority, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.

(5) If ingress into such building or place cannot be so obtained, it shall be lawful for the authorised officer, with such assistance of police officers or of officers of the Central Government, or of both, as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such

building or place, to break open any outer or inner door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if, after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such building or place is an apartment in the actual occupancy of a woman, who, according to custom, does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and then break open the apartment and enter it.

(6) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for the authorised officer with such assistance of police officers or of officers of the Central Government, or of both, as may be required, to stop any such vessel or vehicle or, in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft; and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft, to break open any outer or inner door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that

of the person to be searched or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance;

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom, does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing.

(7) Any person referred to in clause (ii) of sub-section (1) of section 37A may be searched by the authorised officer with such assistance as he may consider necessary. If such person is a woman, the search shall be made by another woman with a strict regard to decency.

(8) Before making a search, the authorised officer shall,-

(a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situate, and

(b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon two or more respectable persons

to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(9) The search shall be made in the presence of the witnesses aforesaid and a list of things seized in the course of such search and of the places in which they were respectively found shall be prepared by the authorised officer and signed by such witnesses; but no person witnessing a search shall be required to attend as a witness of the search in any proceeding under the Act unless specially summoned.

(10) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under sub-rule (9) shall be delivered to such occupant or person. A copy thereof shall be forwarded to the Commissioner and, where the authorisation has been issued by any officer other than the Commissioner, also to that officer.

(11) Where any person is ~~xxxx~~ searched under clause (ii) of sub-section (1) of section 37A, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. A copy thereof shall be forwarded to the Commissioner and, where the authorisation has been issued by any officer other than the Commissioner, also to that officer.

(12) The authorised officer may convey the books of account and other documents, if any, seized by him in the course of the search made by him to the Inspecting Assistant Commissioner or to any other authority not below the rank of Wealth-tax Officer employed in the execution of the Act.

(13) The Wealth-tax Officer to whom the books of account or other documents have been handed over under sub-section (8) of section 37A shall have the power conferred on the autherised officer under sub-rule (12).".

3. After rule 10 of the principal Rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"10A. Requisition of books of account, etc.-

(1) The authorisation under sub-section(1) of section 37B by the Director of Inspection or the Commissioner shall be in Form M-3, shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.

(2) The officer authorised to make requisition under sub-section (1) of section 37B (hereinafter referred to as the requisitioning officer) shall make the requisition in writing to the officer or authority referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of the said sub-section (hereinafter referred

to as the delivering officer or authority) calling upon the delivering officer or authority to deliver the books of account or other documents or, as the case may be, to furnish a note or inventory of the articles or things including money, specified in the requisition to him. The requisition shall be accompanied by a copy of the authorisation in Form M-3 A copy of the requisition, along with a copy of the autherisation in Form M-3, shall be forwarded to the person referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of sub-section(1) of section 37B.".

(3) The delivering officer or authority shall prepare a list of the books of account or other documents delivered to the requisitioning officer. A copy of the list of the books of account or other documents and of the note or inventory of articles or things, if any, furnished by the delivering officer to the requisitioning officer shall be delivered to the person referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of sub-section (1) of section 37B; and a copy thereof shall also be forwarded by the delivering officer to the Commissioner and also the Director of Inspection where the authorisation under sub-rule (1) has been issued by him

(4) The requisitioning officer may convey the books of account and other documents, if any, delivered to him to the Inspecting Assistant Commissioner or to any other authority not below the rank of Wealth-tax Officer employed in the execution of the Act.

4. In the Appendix to the principal Rules,-

(a) in Form E,-

(i) for the item "G.I.R. No.", the item "Permanent Account Number" shall be substituted;

(ii) after the item "Section of the Wealth-tax Act, 1957, under which the appeal is preferred", the following item shall be inserted, namely:-

"Where a return has been filed by the appellant for the assessment year in connection with which the appeal is preferred, whether tax due on the net wealth returned has been paid in full. (If the answer is in the affirmative, give details of date of payment and amount paid.)

__________________________________";

(b) in Form M,-

(i) for the words "the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax" the Wealth-tax Officer

the following shall be substituted,

(c), (d) and (e) and before item (c)

namely,-

the Deputy Director of Inspection,
the Inspecting Assistant Commissioner
of Wealth-tax,
the Assistant Director of Inspection,
the Wealth-tax Officer,";

(ii) for the words and brackets "found at.............. (specify particulars of the building/place),", the words and brackets" found in .... (specify particulars of the building/place/vessel/vehicle/aircraft)" shall be substituted;

(iii) for the brackets and words "(name of the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax or the Wealth-tax Officer)", the brackets and words "(name of the Deputy Director of Inspection or the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax or the Assistant Director of Inspection or the Wealth-tax Officer)" shall be substituted;

(iv) for item (a), the following item shall be substituted, namely,-

"(a) to enter and search the said building/place/vessel/vehicle/aircraft;";

(v) items (b), (c) and (d) shall, respectively, be re-lettered as items (c), (d) and (e) and before item (c)

xxxx

as so re-lettered, the following item shall be inserted, namely:-

"(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building/place/vessel/vehicle/aircraft if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, articles or things, including money;";

(vi) items (e) and (f) shall, respectively, be re-lettered as items (g) and (h) and before item (g) as so re-lettered, the following item shall be inserted, namely:-

"(f) to make a note or an inventory of any such articles or things, including money;";

(vii) at the end of the Form, for the words "Commissioner of Wealth-tax", the following shall be substituted, namely:-

"Director of Inspection
Commissioner of Wealth-tax
Deputy Director of Inspection
Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax.";

(c) after Form M, the following Forms shall be inserted, namely:-

"Form M-1
[See rule 10(2)(b)]

Warrant of authorisation under the proviso to sub-section (1) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957.

To

The Deputy Director of Inspection.

The Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax.

The Assistant Director of Inspection.

The Wealth-tax Officer,

....

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to believe that -

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Wealth-tax Act, 1957 or a notice under sub-section (4) of section 16 of the Wealth-tax Act, 1957 was issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/ Wealth-tax Officer, ... to .... (name of the person) on .... (date) to produce, or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he has omitted or failed to produce or cause to be produced such books of account or other documents as required by such summons or notice;

---

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Wealth-tax Act, 1957 or a notice under sub-section (4) of section 16 of the Wealth-tax Act, 1957 has been issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/ Wealth-

tax Officer ....

to .... on .... to
(name of the person) (date)

produce or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he will not produce or cause to be produced such books of account or other documents as required by such summons or notice;

---

if a summons under sub-section (1) of section 37 of the Wealth-tax Act, 1957, or a notice under sub-section (4) of section 16 of the Wealth-tax Act, 1957, is issued to .... to
(Name of the person)

produce, or cause to be produced, books of account or other documents which would be useful for, or relevant to, the proceedings under the Wealth-tax Act, 1957 for the assessment year/ years commencing on ...., he would not produce, or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice;

Sarvashri/ Shri/ Shrimati ....are/is in possession of articles or things (including money) wholly disproportionate to their/his/her known assets, particulars of which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Wealth-tax Act, 1957;

And whereas I have reason to suspect that such books of account, other documents, articles or things (including money) have been kept and are to be found ~~at a~~ in .... (specify particulars of the building, place, vessel, vehicle or aircraft), which is within the area of my jurisdiction; and

And whereas I have reason to believe that any delay in getting an authorisation under sub-section (1) of section 37A from the Commissioner having jurisdiction over [illegible]/ [illegible]/ [illegible] .... may be prejudicial to the interests of the revenue;

This is to authorise and require you

....
(name of the Deputy Director of Inspection or the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax or the Assistant Director of Inspection or the Wealth-tax Officer)

(a) to enter and search the said building, place, vessel, vehicle or aircraft;

(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building/ place/ vessel/ vehicle/ aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, articles or things, including money;

(c) to place identification marks on such books and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to, or useful for, the proceedings aforesaid and to make a list thereof together with

particulars of the identification marks;

(d) to examine such books and/or documents and make, or cause to be made, copies or extracts from such books and/or documents;

(e) to seize such books and/or documents and take possession thereof;

(f) to make a note or an inventory of any such articles or things, including money;

(g) to convey such books or documents to the ~~offices~~ office of the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax or any other authority not below the rank of the Wealth-tax Officer employed in the execution of the Wealth-tax Act, 1957;

(h) to exercise all other powers and perform all other duties under section 37A of the Wealth-tax Act, 1957 and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both, to assist you for any of the purposes specified in sub-section (1) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957.

(SEAL) Commissioner of Wealth-tax.

xxxx

Form M-2
[See rule 10(2)(c)]

Warrant of authorisation under sub-section(2) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957.

To

The Deputy Director of Inspection,

The Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax,

The Assistant Director of Inspection,

The Wealth-tax Officer,

....

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof I have reason to suspect that the books of account or other documents, articles or things (including money) in respect of which .... (name and designation of authorised officer) has been authorised by the Director of Inspection/ Commissioner of Wealth-tax/ Deputy Director of xxx Inspection/ Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax ...., to take action under clauses (i) to (vi) of sub-section (1) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957, or is kept in .... (specify .... particulars of the building, place, vessel, vehicle or aircraft)

And whereas the building/place/vessel/ vehicle/aircraft specified above has/have not been mentioned in the warrant of authorisation under sub-section (1) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957 by the Director of Inspection/Commissioner of Wealth-tax/

Deputy Director of Inspection/ Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax.

This is to authorise and require you

.... —
(name of the Deputy Director of Inspection/ Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/ Assistant Director of Inspection/ Wealth-tax Officer)

(a) to enter and search the said building, place, vessel, vehicle or aircraft;

(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building/ place/ vessel/ vehicle/ aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, articles or things, including money;

(c) to place identification marks on such books and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to, or useful for, the proceedings aforesaid and to make a list thereof together with particulars of the identification marks;

(d) to examine such books and/ or documents and make, or cause to be made, copies or extracts from such books and/or documents;

(e) to seize such books and/or documents and take possession thereof;

(f) to make a note or any inventory of any such articles or things, including money;

(g) to convey such books or documents to the office of the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax or any other authority not below the

rank of a Wealth-tax Officer employed in the execution of the Wealth-tax Act, 1957;

(h) to exercise all other powers and perform all other duties under section 37A of the Wealth-Act, 1957 and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both, to assist you for any of the purposes specified in sub-section (1) of section 37A of the Wealth-tax Act, 1957.

(SEAL) Commissioner of Wealth-tax

Form M-3

[See rule 10A (1)]

Warrant of authorication under sub-section (1) of section 37B of the Wealth-tax Act, 1957.

To

The Deputy Director of Inspection,

The Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax,

The Assistant Director of Inspection,

The Wealth-tax Officer,

....

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to believe that -

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Wealth-tax Act, 1957 or a notice under sub-section (4) of section 16 of the Wealth-tax Act, 1957 was issued by the Inspecting Assistant Commissioner of

Wealth-tax/ Wealth-tax Officer.............
to .... to produce, or cause
(name of the person)
to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he has omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice, and the said books of account or other documents have been taken into custody by..........................
(name and designation of the
..........................;
officer or authority)

---

certain books of account or other documents which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Wealth-tax Act, 1957, have been taken into custody by ....
(name and
....
designation of officer or authority)
and Sarvashri/Shri/Shrimati ....
(name of the person
to whom a summons under sub-section (1) of section 37 of the Wealth-tax Act, 1957 or a notice under sub-section (4) of section 16 of the Wealth-tax Act, 1957 has been or might be issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/ Wealth-tax Officer .... will not, or would not produce, or cause to be produced such books of account or other documents on their return by the said officer/ authority;

---

the articles or things (including money) taken

into custody by ....
(name and designation of the officer or authority)

being disproportionate to the known assets of

Sarvashri/ Shri/ Shrimati ....;

particulars of which will be useful for, or

relevant to, the proceedings under the Wealth-tax

Act, 1957;

This is to authorise you

....
(name of the Deputy Director of Inspection/ Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax/ Assistant Director of Inspection/ Wealth-tax Officer)

to require the said officer or authority,-

(i) to deliver such books of account or other documents to you; and/or

(ii) to furnish a note or an inventory of such articles or things (including money) to you.

(SEAL)

Director of Inspection
Commissioner of Wealth-tax.".

[No. 1105 /F.No.142(45)/76-TPL]

O.P. BHARDWAJ,
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 30th सितम्बर, 1975

धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1957 है।
(2) ये 1 अक्तूबर, 1975 को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. तलाशी और अभिग्रहण -(1) धारा 37क के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां उपनियम (2) से (13) तक के अनुसार प्रयोग में लाई जाएंगी।

(2) (क) निरीक्षण निदेशक या आयुक्त या ऐसे निरीक्षण निदेशक या सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा, जिसे बोर्ड इस निमित्त प्राधिकृत करे, धारा 37क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार (उसके परन्तुक के अधीन प्राधिकार से भिन्न) प्ररूप संख्या ढ में होगा ;

(ख) आयुक्त द्वारा धारा 37क की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकार प्ररूप संख्या ढ-1 में होगा ;

(ग) आयुक्त द्वारा धारा 37क की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार प्ररूप संख्या ढ-2 में होगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार लिखित रूप में होगा और वह प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उसकी मुद्रा भी उस पर लगाई जाएगी।

(4) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसकी तलाशी प्राधिकृत की गई हो, का भारसाधक या उसमें का कोई भी व्यक्ति, धारा 37क के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) अपेक्षा किए जाने पर और प्राधिकार के प्रस्तुत किए जाने पर, उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और उसकी तलाशी के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

(5) यदि किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश नहीं किया जा सकता है तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए, यदि उसके प्राधिकार और प्रवेश के प्रयोजन तथा मांग के सम्यक्रूप से अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है तो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह, पुलिस अधिकारियों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, या दोनों, की ऐसी सहायता से जैसी कि अपेक्षित हो, ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करे और उसकी तलाशी ले तथा ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भवन या स्थान का बाहर या भीतरी दरवाजा या खिड़की तोड़े, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसकी तलाशी लेनी है या किसी अन्य व्यक्ति का हो :

परन्तु यह कि यदि ऐसा भवन या स्थान वस्तुतः ऐसी स्त्री के अधिभोगाधीन है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व, ऐसी स्त्री को सूचना देगा कि उसे वहां से हटने की स्वतन्त्रता है और उसे वह वहां से हटने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा और तब उस कक्ष को तोड़ेगा और उसमें प्रवेश करेगा ।

(6) यदि किसी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में, जिसकी तलाशी प्राधिकृत की गई हो, इस कारण से कि ऐसा जलयान, यान या वायुयान गतिमान है या किसी अन्य कारण से, प्रवेश नहीं

किया जा सकता है, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए, यदि उसके प्राधिकार और प्रवेश के प्रयोजन और मांग के सम्यक्रूप से अभिसूचित किए जाने के पश्चात्, वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह, पुलिस अधिकारियों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, या दोनों, की ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित हो, ऐसे किसी जलयान या यान को रोक ले या, किसी वायुयान की दशा में, उसे रुकने या भूमि पर उतरने के लिए बाध्य कर दे, और उस जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी ले, और ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश कर सकने के लिए ऐसे किसी जलयान, यान या वायुयान का बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की तोड़ ले, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसकी तलाशी लेनी है या किसी अन्य व्यक्ति का हो :

परन्तु यदि ऐसा कोई जलयान, यान या वायुयान ऐसी स्त्री के अधिभोगाधीन है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व, ऐसी स्त्री को सूचना देगा कि उसे वहां से हटने की स्वतन्त्रता है और वह उसे वहां से हटने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा ।

(7) प्राधिकृत अधिकारी धारा 37ख की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की तलाशी ऐसी सहायता लेकर कर सकता है जो वह आवश्यक समझे । यदि ऐसा व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी और ऐसा करते समय शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा ।

(8) तलाशी लेने से पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी, -

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, उस स्थल के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला भवन या स्थान स्थित है, दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों को ; और

(ख) जहां किसी जलयान, यान या वायुयान की तलाशी ली जानी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, तलाशी के समय हाजिर रहने और उसकी साक्षी रहने के लिए बुलवाएगा तथा उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकेगा ।

(9) तलाशी उपरोक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान अभिगृहीत वस्तुओं और उन स्थानों की, जहां सम्बन्धित वस्तुएं पाई गई थीं, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूची तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उन पर हस्ताक्षर किया जाएगा ; किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को, जो तलाशी के समय रहा हो, अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में तलाशी के साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए तब के सिवाय अपेक्षा न की जाएगी जब उसे विशेषरूप से समन किया जाए ।

(10) तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसमें ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सम्मिलित है, तलाशी के दौरान वहां उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और उपनियम (9) के अधीन तैयार की गई सूची की प्रति ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दी जाएगी । उसकी एक प्रति आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी और, जहां प्राधिकार आयुक्त से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, एक प्रति उस अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी ।

(11) जहां किसी व्यक्ति की तलाशी धारा 37क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन ली जाती है, वहां कब्जे में ली गई सभी वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी और उसकी प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी । उसकी एक प्रति आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी और, जहां प्राधिकार आयुक्त से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया

गया है, एक प्रति उस अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी ।

(12) प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा की गई तलाशी के दौरान अभिगृहीत लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को, यदि कोई हों, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के पास या अधिनियम के निष्पादन के लिए नियोजित धन-कर अधिकारी से अन्यून रैंक के किसी अन्य प्राधिकारी के पास ले जा सकता है ।

(13) ऐसे धन-कर अधिकारी को, जिसको धारा 37क की उपधारा (8) के अधीन लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें सौंपी गई हैं, उपनियम (12) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

3. 3. मूल नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10क. लेखा-पुस्तकों आदि की अध्यपेक्षा -

(1) निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा धारा 37ख की उपधारा (1) के अधीन, किया जाने वाला प्राधिकरण प्रारूप संख्या 8 ड-3 में होगा, प्राधिकरण जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में होगा तथा उस पर उसकी मुद्रा लगाई जाएगी ।

(2) धारा 37ख की उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यपेक्षा करने वाला अधिकारी कहा गया है) उक्त उपधारा के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिदान अधिकारी या प्राधिकारी कहा गया है) उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को अध्यपेक्षा में, विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां सौंप दे, लिखित रूप में अध्यपेक्षा करेगा । अध्यपेक्षा प्रारूप संख्या ड-3 में प्राधिकरण की एक प्रति के साथ की

या धातुओं और चीजों की, जिनमें धनराशि भी है, ...

जाएगी । प्ररूप संख्या ड-3 में प्राधिकार की एक प्रति के साथ अध्यपेक्षा की एक प्रति धारा 37ख की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) परिदान अधिकारी या प्राधिकारी अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को सौंपी गई लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों की एक सूची तैयार करेगा । परिदान अधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को दी गई लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों और वस्तुओं या चीजों का टिप्पण या सूची, यदि कोई हो, धारा 37ख की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को सौंपी जाएगी ; तथा उसकी एक प्रति परिदान अधिकारी द्वारा आयुक्त को तथा वहां जहां प्राधिकार उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया हो, निरीक्षण निदेशक को भी, अग्रेषित की जाएगी ।

(4) अध्यपेक्षा करने वाला अधिकारी उसे सौंपी गई लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के पास या अधिनियम के निष्पादन के लिए नियोजित धन-कर अधिकारी से अन्यून रैंक के किसी अन्य प्राधिकारी के पास ले जा सकता है ।

4. मूल नियमों के परिशिष्ट में, -

(क) प्ररूप ड0 में, -

(i) "जी.आई.आर. संख्या" मद के स्थान पर "स्थायी खाता संख्या" मद रखी जाएगी ;

(ii) "किसी अन्य मामले में, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सूचना की तामील की तारीख" मद के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(ii) "धन-कर अधिनियम, 1957 की वह धारा जिसके अधीन अपील की गई है" मद के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"जहां अपीलार्थी द्वारा, उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके सम्बन्ध में अपील की गई है, विवरणी दाखिल की गई, शुद्ध धन पर शोध्य कर, पूर्ण रूप से संदत्त कर दिया गया है या नहीं (यदि उत्तर हां में है तो संदाय की तारीख और संदत्त रकम का ब्यौरा दीजिए)।

______________________________";

(ख) प्ररूप ढ में, -

(i) "सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण)
------------------------------ शब्दों के स्थान
धन कर अधिकारी "

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"निरीक्षण उप-निदेशक

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक निरीक्षण निदेशक

धन-कर अधिकारी " ;

(ii) "---------------- (यहां भवन । स्थान के ब्यौरे दीजिए) पर पाया गया, " शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "--------------(यहां भवन/ स्थान/ जलयान/ यान/ वायुयान के ब्यौरे दीजिए) पाया गया " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) "(धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या धन-कर अधिकारी)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(निरीक्षण उप-निदेशक या सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या सहायक निरीक्षण निदेशक या धन-कर अधिकारी) " कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे

(i) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) उक्त भवन / स्थान / जलयान / यान / वायुयान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें ; " ;

(ii) मद (ख), (ग) और (घ) को क्रमशः मद (ग), (घ) और (ङ) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित मद (ग) के पूर्व निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"(ख) ऐसे व्यक्ति की जो उस भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर जाने वाला हो, या उसमें हो, तलाशी लें, यदि आपके पास यह संदेह करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई ऐसी लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, वस्तुएं या चीजें, जिनमें धन राशि भी आती है, छिपाई है ; " ;

(iii) मद (ङ) और (च) क्रमशः मद (छ) और (ज) के रूप में पुनः अंकित की जाएंगी और इस प्रकार पुनः अंकित मद (छ) के पूर्व निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"(च) ऐसी वस्तुओं या चीजों की, जिनमें धन राशि भी आती है, टिप्पण या सूची तालिका तैयार करना ; " ;

(iv) प्ररूप के अन्त में, "धन-कर आयुक्त" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"निरीक्षण निदेशक

धन-कर आयुक्त

निरीक्षण उप-निदेशक

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण)" ;

(ग) प्ररूप ह के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप ह-1

[नियम 10(2)(ख) देखिए]

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकार का वारण्ट

सेवा में,

निरीक्षण उप-निदेशक

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण)

निरीक्षण सहायक निदेशक

धन-कर अधिकारी

मुझे ऐसी सूचना दी गई है और उस पर विचार करने के पश्चात्, मेरे पास यह विश्वास करने का आधार है कि :-

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) ।धन-कर अधिकारी द्वारा, -------------------------(व्यक्ति का नाम) को, धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, समन, या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन सूचना दी गई थी कि वह तारीख -------------------को सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या दस्तावेजें पेश करें या करवाये और ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, उसने पेश नहीं किया।करवाई हैं या पेश करने । करवाने में उसने चूक की है ;

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण)। धन-कर अधिकारी द्वारा-----------------------------(व्यक्ति का नाम) को धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, समन, या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन, सूचना दी गई था कि वह तारीख -----------------को, सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या दस्तावेजें पेश करें या करवाए और ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, वह पेश नहीं करेगा। करवाएगा ;

यदि धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, कोई समन, या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन, कोई सूचना -------------------- (व्यक्ति का नाम) को दी जाती है कि वह ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो कि धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन, कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, पेश करें या पेश करवाए और वह, ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश नहीं करेगा ।करवाएगा ;

सर्वश्री/श्री/श्रीमती ------------------------------------के कब्जे में ऐसी वस्तुएं या चीजें (जिसके अन्तर्गत धनराशि भी है) जो कि उसकी उन ज्ञात आस्तियों के अनुपात में नहीं है जिसकी विशिष्टियां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी ;

और मेरे पास यह संदेह करने का आधार है कि ऐसी लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, वस्तुएं या चीजें (जिसके अन्तर्गत धनराशि भी है) (भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के ब्यौरे दीजिए), में जो कि मेरी अधिकारिता के क्षेत्र में आता है, रखी गई हैं और मिलेंगी ;

और मेरे पास यह विश्वास करने का आधार है कि सर्वश्री/श्री/श्रीमती ------------------------------------पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से, धारा 37क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने में कोई भी विलम्ब, राजस्व के हितों के प्रतिकूल होगा ;

अतः, श्री ------------------------------------निरीक्षण उपनिदेशक या सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या धन-कर अधिकारी का नाम), आपको प्राधिकार दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप -

(क) उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करें और तलाशी लें ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की, जो उस भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर जाने वाला हो, या भीतर हो, तलाशी लें यदि आपके पास यह संदेह करने का आधार हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, वस्तुएं या चीजें (जिसके अन्तर्गत धनराशि भी है) छिपाई है ;

(ग) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के दौरान पाई जाएं और जिन्हें आप उपरोक्त कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत समझते हों, पहिचान चिह्न लगा दें, और पहिचान चिह्नों को विशिष्टियों के साथ उसकी एक सूची तैयार कर दें ;

(घ) ऐसी लेखा-पुस्तकों और।या दस्तावेजों का परीक्षण करें और ऐसी लेखा-पुस्तकों और।या दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करें या उनसे उद्धरण लें ;

(ङ०) ~~ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी~~ लेखा-पुस्तकों और ।या दस्तावेज।को कब्जे में लें ;

(च) ऐसी वस्तुओं या चीजों (जिनके अन्तर्गत धनराशि भी है) का एक टिप्पण तैयार करें और उनकी एक तालिका बनाएं

(छ) ऐसी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों को, सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या धन-कर अधिनियम, 1957 के निष्पादन हेतु नियोजित, धन-अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न, किसी अन्य धन-कर प्राधिकारी के पास ले जाएं ; और

(ज) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क और उससे सम्बद्ध नियमों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करें ;

आप धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता हेतु, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, या दोनों को, सेवाओं को अध्यपेक्षा कर सकते हैं ।

(मुद्रा) धन-कर आयुक्त

प्ररूप सं० 6-2

[नियम 10 (2) (ग) देखिए]

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार का वारण्ट

सेवा में,

निरीक्षण उपनिदेशक,

सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण),

सहायक निरीक्षण निदेशक

धन-कर अधिकारी

मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर विचार करने के पश्चात् मेरे पास यह संदेह करने का आधार है कि लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, वस्तुएं या चीजें (जिसके अन्तर्गत धनराशि भी है), जिनकी बाबत ------------------------------ (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदाभिधान) को निरीक्षण निदेशक। धन-कर आयुक्त निरीक्षण उप निदेशक। सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (V) तक के अधीन कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है, या जो ------------------- (भवन। स्थान। जलयान। यान या वायुयान के ब्यौरे दीजिए) में है या हैं;

और ऊपर विनिर्दिष्ट भवन। स्थान। जलयान। यान। वायुयान का उल्लेख निरीक्षण निदेशक। धन-कर आयुक्त। निरीक्षण उपनिदेशक। सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा धारा 37क की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्राधिकार में नहीं किया गया है।

अतः, मैं ------------------- (निरीक्षण उपनिदेशक, या सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या धन-कर अधिकारी का नाम) आप को प्राधिकार दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप, -

(क) उक्त भवन। स्थान। जलयान। यान या वायुयान में प्रवेश करें और तलाशी लें;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो उस भवन । स्थान । जलयान । यान । वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर जाने वाला हो, या भीतर हो तलाशी लें यदि आपके पास यह संदेह करने का आधार हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, वस्तुएं या बातें (जिसके अन्तर्गत धनराशि भी है) छिपाई है ;

(ग) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के दौरान पाई जाएं और जिन्हें आप उपरोक्त कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत समझते हो, पहिचान चिह्न लगा दें और पहिचान चिह्नों की विशिष्टियों के साथ उनकी एक सूची तैयार कर दें ;

(घ) ऐसी लेखा-पुस्तकों और । या दस्तावेजों का परीक्षा करें और ऐसी लेखा-पुस्तकों और । या दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ तैयार करें या करा ले या उनसे उद्धरण ले या लिखा लें ;

(ङ) ऐसी लेखा-पुस्तकों और । या दस्तावेजों का अभिग्रहण करें और उनको कब्जे में ले ;

(च) ऐसी वस्तुओं या बातों का एक टिप्पण तैयार करें और उनकी एक तालिका बनाएं ;

(छ) ऐसी लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों को, सहायक धन-कर आयुक्त (निरीक्षण) या धन-कर अधिनियम, 1957 के निष्पादन हेतु नियोजित, धन-कर अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न, किसी अन्य धन-कर प्राधिकारी के कार्यालय ले जाएं ; और

(ज) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क और उससे सम्बद्ध नियमों के अधीन सभा अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करें ;

आप धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता हेतु, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, या दोनों को, सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकते हैं ।

धन-कर आयुक्त

(मुद्रा)

प्रारूप सं० 53

[नियम 10क (1) देखिए]

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार का वारंट

सेवा में,

निरीक्षण उपनिदेशक,
- - - - - - - -
सहायक धनकर आयुक्त, (निरीक्षण)
- - - - - - - - - - - - - -
सहायक निदेशक, निरीक्षण,
- - - - - - - - - - - -
धनकर अधिकारी

मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर विचार करने के पश्चात् मेरे पास यह विश्वास करने के आधार हैं कि ––

धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन समन, या धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस श्री सहायक धनकर आयुक्त (निरीक्षण)/धनकर अधिकारी द्वारा श्री को (व्यक्ति का नाम) जारी किया गया था जिसमें उससे सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश करने या करवाने की अपेक्षा की गई थी और उसने ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश नहीं की या कराई है पेश करने या कराने में चूक की है और उक्त लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें श्री (अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा अभिरक्षा में ले ली गई है,

- -

कतिपय लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें, जो धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, श्री (अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा अभिरक्षा में ले ली गई है और श्री /सर्वश्री /श्रीमती (व्यक्ति का नाम) को, जिसे धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन समन या धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस, सहायक धनकर आयुक्त (निरीक्षण) / धनकर अधिकारी श्री - - - - - द्वारा जारी किया

गया है या जारी किया जा सकता है, उक्त अधिकारी /प्राधिकारी द्वारा वापस किए जाने पर ऐसी लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, पेश नहीं करेगा या करता या पेश नहीं कराएगा या कराता है ।

श्री (अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा अपनी अभिरक्षा में ली गई वस्तुएँ या चीजें (जिनके अन्तर्गत धनराशि भी है), जो सर्वश्री/श्री /श्रीमती की अज्ञात आस्तियों के अनुपात में नहीं हैं, जिसकी विशिष्टियाँ धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी ;

इसके द्वारा श्री (निरीक्षण उपनिदेशक या सहायक धनकर आयुक्त(निरीक्षण) या सहायक निदेशक निरीक्षण या धनकर अधिकारी का नाम) आपको उक्त अधिकारी या प्राधिकारी से यह अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि

(i) वह यथापूर्वोक्त लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें ~~(या आस्तियां)~~ आप को परिदत्त करें ;

(ii) ऐसी वस्तुओं या चीजों (जिनके अन्तर्गत धनराशि भी है) का एक टिप्पण या उसकी एक तालिका आपको दे ।

निरीक्षण निदेशक
धनकर आयुक्त "।

(मुद्रा)

~~(सं० /फा०सं० 142(45)/75टी पी एल)~~

~~(ओ० पी० भारद्वाज)~~
~~सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड~~

[सं० 11051 फा०सं० 142(45)/75- टी०पी०एल०]

ओ. पी. भारद्वाज

(ओ० पी० भारद्वाज)
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड